न्यायालयः— प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०) (समक्षः—सतीश कुमार गुप्ता)

<u>वैवाहिक प्र0 क0 100045 / 15</u> प्रस्तुति दिनांक 12 / 07 / 2016

> राकेश बाल्मीक पुत्र आशाराम बाल्मीक आयु 35 वर्ष जाति मेहतर निवासी ग्राम नावली थाना गोहद चौराहा परगना गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

> > -----आवेदक

बनाम

श्रीमती रेखा पत्नी राकेश पुत्री रामप्रकाश आयु 30 वर्ष जाति मेहतर निवासी ग्राम नावली परगना गोहद, हाल निवासी ग्राम कचनौधा थाना दिमनी पोस्ट गौठ परगना अम्बाह जिला मुरैना (म0प्र0)

----अनावेदिका

आवेदक की ओर से — श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता अनावेदिका की ओर से — श्री पी.एन. भटेले अधिवक्ता।

//निर्णय// (आज दिनांक 25.06.2018 को घोषित)

- **01.** इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें आवेदक द्वारा अनावेदिका, जो कि उसकी वैवाहिक पत्नी है, से दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।
- 02. प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य यह स्वीकृत/निर्विवादित है कि आवेदक राकेश का अनावेदिका श्रीमती रेखा के साथ दिनांक 08.05.02 को ग्राम कचनौधा परगना अम्बाह जिला मुरैना में सामाजिक प्रथा/रीति रिवाज के अनुसार विधिवत विवाह संपन्न होने के कारण वे परस्पर पति—पत्नी हैं और उनके संसर्ग से तीन संतान पुत्री कुमारी चांदनी आयु 10 वर्ष, पुत्र सूरज आयु 7 वर्ष व करन आयु 4 वर्ष पैदा हुई हैं, जो कि वर्तमान में अनावेदिका के साथ उसके मायके में निवासरत हैं।
- 03. स्वीकृत / निर्विवादित तथ्यों के अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इस प्रकार

है कि विवाह पश्चात अनावेदिका, आवेदक के साथ कुछ समय तक अच्छी तरह से रही और उसके बाद अपनी मर्जी से मायके आने—जाने लगी, जिसके बावत आवेदक ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन उसके बाद अनावेदिका के माता—पिता आवेदक से बतौर खर्चा पैसों की मांग करने लगे। आवेदक द्वारा मजदूरी करके अपने परिवार का भरण—पोषण कर रहे होने के कारण कथित खर्चा के रूप में रूपये नहीं दिये तो अनावेदिका भी माता—पिता को रूपये देने के लिये आवेदक पर दबाव बनाते हुये मायके जाने की धौंस देने लगी और समझाने के बावजूद भी नहीं मानी। तत्पश्चात आवेदन प्रस्तुति से लगभग तीन साल पहले जब आवेदक मजदूरी करने गया था, तब अनावेदिका के पिता आवेदक के घर ग्राम नावली आये और अनावेदिका 10000 रूपये नगदी, मंगल सूत्र, कानों के वाला, करधोनी पटटे वाली चांदी की वजनी 500 ग्राम, पायजेवी 250 ग्राम वजनी, नाक की वेसर सोने की सिहत अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने पिता के साथ मायके चली गई, तब से लौटकर नहीं आई है और आवेदक को दाम्पत्य सुखों से वंचित किये हुये है। आवेदक कई बार अनावेदिका व अपने बच्चों को लेने अपनी ससुराल गया तो आवेदक के ससुर व सास तथा अनावेदिका द्वारा कहा गया कि 10000 रूपये दो, तब साथ भेजेंगे। तत्पश्चात दिनांक 03.07.16 को आवेदक अंतिम बार अपने बच्चों व अनावेदिका को लेने गया तो भेजने से इंकार कर दिया। अतः आवेदन प्रस्तुत कर वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिकी प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है।

04. अनावेदिका ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत उक्त याचिका के खण्डन में स्वीकृत / निर्विवादित तथ्यों को छोड़कर शेष समस्त अभिवचनों को अस्वीकृत करते हुये प्रतिरक्षा में अभिवचन किये हैं कि अनावेदिका एवं उसके माता—पिता द्वारा आवेदक से बतौर खर्चा रूपये देने की कभी कोई मांग नहीं की है और न ही अनावेदिका अपने साथ कथित नगदी सिहत सोने व चांदी के जेवरात लेकर मायके आई है। आवेदक द्वारा असत्य एवं मनगढ़ंत आधारों पर याचिका पेश की गई है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है, बिल्क वास्तविकता यह है कि आवेदक शराब व गांजा पीता है और कोई धंधा नहीं करता है एवं नशे में अनावेदिका की कई बार मारपीट की है और उसने ही मारपीट कर अनावेदिका को बच्चों सिहत घर से भगा दिया है। इस कारण से अनावेदिका अपने तीनों नावालिग बच्चों सिहत अपने पिता के पास रह रही है और आवेदक कभी भी लिवाने मायके नहीं आया है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

05. प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजों के आधार पर विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नानुसार निर्मित वादप्रश्नों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निकाले गये सकारण निष्कर्ष निम्नवत हैं:--

Φ0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01	क्या अनावेदिका के द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त	''नहीं''
	कारण के आवेदक के साथ कूरता का व्यवहार किया जा	
	रहा है ?	
02	क्या अनावेदिका के द्वारा आवेदक का परित्याग कर उसे	''नहीं''
	दाम्पत्य सुखों से वंचित रखा गया गया है ?	
03	क्या आवेदक दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना करा पाने का	''नहीं''
	अधिकारी है ?	
04	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 15 अनुसार
	(0)	याचिका निरस्त

//साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष//

06. प्रकरण में आवेदक पक्ष की ओर से अपनी याचिका के समर्थन में स्वयं आवेदक राकेश आ0सा0—1 एवं साक्षीगण रामजीलाल आ0सा0—2 तथा भगवतीप्रसाद आ0सा0—3 को परीक्षित कराया गया, जबिक अनावेदिका पक्ष की ओर से स्वयं अनावेदिका श्रीमती रेखा अना0सा0—1 व साक्षी रामप्रकाश अना0सा0—2 को परीक्षित कराया गया है।

वादप्रश्न कमांक- 1 लगायत 3

- **07.** अभिलेखगत साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये विवेचन में पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त तीनों परस्पर संबंधित वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. जहाँ तक उक्त वादप्रश्नों का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि आवेदक राकेश आ०सा0—1 सहित उसके दोनों साक्षीगण रामजीलाल आ०सा0—2 तथा भगवतीप्रसाद आ०सा0—3 ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में अनावेदिका के माता—पिता द्वारा खर्चे के लिये आवेदक से रूपये की माँग करना, अनावेदिका द्वारा उक्त मांग पूर्ति हेतु आवेदक पर दबाव डालते हुये मायके चली जाने की धौंस दिया जाना और अंत में मांग पूर्ति के

अभाव में याचिका प्रस्तुति से करीब 03 माह पूर्व अनावेदिका को 10000 रूपये नगदी, मंगल सूत्र, कानो के वाला, करधोनी पटटे वाली चांदी की वजनी 500 ग्राम, पायजेवी 250 ग्राम वजनी, सोने की नाक की वेसर लेकर अपने तीनों बच्चों सहित पिता के साथ मायके चली जाना तथा बार—बार लिवाने पर अनावेदिका को बच्चों सहित मायके से 10 हजार रूपये दिये बिना वापस नहीं आना बताया है, लेकिन जहाँ एक ओर उक्त संबंध में आवेदक पक्ष द्वारा रखे गये समस्त सुझावों को अनावेदिका श्रीमती रेखा अना0सा0—1 सहित उसके पिता रामप्रकाश अना0सा0—2 ने अपने न्यायालयीन कथनों में दृढ़तापूर्वक गलत होना बताया है, वहीं दूसरी ओर हिंदू समाज में प्रचलित मान्यताओं व परंपराओं को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक राकेश आ0सा0—1 के यह कथन स्वाभाविक प्रतीत नहीं होते हैं कि उससे उसकी पत्नी अर्थात अनावेदिका के माता—पिता द्वारा खर्चे के लिये रूपयों की मांग की गई है और उसके द्वारा मांग पूर्ति नहीं किये जाने के कारण शादी से कई वर्ष गुजर जाने एवं उभयपक्ष के संसर्ग से तीन संतानें पैदा हो जाने के पश्चात अनावेदिका मायके चली गई है और बार—बार लिवाने जाने के बावजूद वह वापस नहीं आ रही है।

09. आवेदक राकेश आ०सा०—1 सहित उसके दोनों साक्षीगण रामजीलाल आ०सा०—2 तथा भगवतीप्रसाद आ०सा०—3 का अपने साक्ष्य शपथ पत्र में कहना है कि अनावेदिका के माता—पिता द्वारा खर्चों के लिये उससे रूपयों की मांग करने एवं उसके द्वारा मांग पूर्ति नहीं किये जाने के कारण अनावेदिका कथित नगदी 10 हजार रूपये सहित सोने व चांदी के जेवरात लेकर उसकी गैर मौजूदगी में अपने मायके चली गई है और बार—बार लिवाने के बावजूद 10 हजार रूपये माता—पिता को दिये बिना अनावेदिका ने आने से व उसके माता—पिता ने भेजने से इंकार कर दिया है, लेकिन आवेदक पक्ष द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिसके अवलोकन से उपरोक्तानुसार घटना के संबंध में आवेदक द्वारा सक्षम फोरम के समक्ष कोई शिकायत किया जाना दर्शित होता हो तथा उक्त संबंध में कोई योग्य कारण भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जबिक यदि वास्तव में आवेदक व्वारा उक्त संबंध में सक्षम फोरम के समक्ष अनावेदिका के विरुद्ध शिकायत नहीं की जाती और शिकायत संबंधी दस्तावेज को आवेदक पक्ष न्यायालय के समक्ष अनावेदिका के विरुद्ध शिकायत नहीं की जाती और शिकायत संबंधी दस्तावेज को आवेदक पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। अतः उक्त आधार पर मामले में आवेदक पक्ष के विपरीत उपधारणा होती है।

- 10. आवेदक राकेश आ०सा०—1 सहित उसके दोनों साक्षीगण रामजीलाल आ०सा०—2 तथा भगवतीप्रसाद आ०सा०—3 ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में अनावेदिका के माता—पिता द्वारा खर्चे के लिये आवेदक से रूपयों की मांग करना एवं आवेदक द्वारा मांग पूर्ति नहीं किये जाने के कारण अनावेदिका को अपने मायके चले जाना बताया है तथा उनका कहना है कि बार—बार लिवाने जाने पर भी अनावेदिका व उसके माता—पिता ने आवेदक से 10 हजार रूपये लिये बिना अनावेदिका को आवेदक के साथ भेजने से इंकार कर दिया है, लेकिन प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा कमांक 2 व 3 में रामजीलाल आ०सा०—2 का अपने मुख्य परीक्षण के विपरीत कहना है कि वह नहीं बता सकता कि अनावेदिका, आवेदक के साथ क्यों नहीं आ रही है और उसके सामने अनावेदिका श्रीमती रेखा व उसके पिता से आवेदक की कोई बातचीत नहीं हुई है।
- 11. इसी प्रकार अन्य आवेदक साक्षी भगवतीप्रसाद आ0सा0—3 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा कमांक 3 में मुख्य परीक्षण के विपरीत प्रकट किया है कि अनावेदिका उसके सामने 10 हजार रूपये लेकर नहीं गई है तथा यह गलत होना बताया है कि अनावेदिका खर्चे के लिये पैसों की मांग करती है और आवेदक नहीं देता है। स्वयं आवेदक राकेश आ0सा0—1 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान मुख्य परीक्षण के विपरीत प्रकट किया है कि उसे नहीं मालूम कि उसकी पत्नी अंतिम बार मायके कब गई है, जबिक मुख्य परीक्षण में उसने अनावेदिका को 10 हजार रूपये नगदी सिहत सोने व चांदी के जेवरात लेकर मायके चली जाना बताया है, जबिक प्रतिपरीक्षण के पैरा कमांक 3 में स्वयं को हाईस्कूल तक पढ़ालिखा होना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा कमांक 4 में भी अपने दावे सिहत मुख्य परीक्षण के विपरीत व असंगत प्रकट किया है कि उसकी पत्नी अर्थात अनावेदिका के अपने सौतेले भाई से अवैध संबंध है, इस कारण से वह नहीं आती है एवं आवेदक का यह भी कहना है कि उसने अपने वकील साहब को आवेदन पत्र एवं श्रापथ पत्र के समय उक्त अवैध संबंध के बारे में तथा उसके कारण आनावेदिका को नहीं आने के बारे में बता दिया था और यदि आवेदन पत्र व शपथ पत्र में उक्त संबंध में न लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता है, जबिक कथित अवैध संबंध होने एवं उसके कारण मायके से अनावेदिका के नहीं आने के संबंध में आवेदक पक्ष के कोई अभिवचन ही नहीं हैं। अतः यह स्पष्ट है कि स्वयं आवेदक राकेश आ0सा0—1 सहित उसके दोनों साक्षीगण रामजीलाल आ0सा0—2 तथा भगवतीप्रसाद आ0सा0—3 कथनों में अपने स्टेण्ड पर दृढ़तापूर्वक कदािप स्थिर भी नहीं हैं।

- 12. उपरोक्त के विपरीत अनावेदिका श्रीमती रेखा अना०सा०—1 ने अभिवचनों के अनुरूप अपने साक्ष्य शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि अनावेदिका एवं उसके माता—पिता द्वारा आवेदक से बतौर खर्चा रूपये देने की कभी कोई मांग नहीं की है और न ही अनावेदिका अपने साथ कथित नगदी सिहत सोने व चांदी के जेवरात लेकर मायके आई है, बिल्क वास्तविकता यह है कि आवेदक शराब व गांजा पीता है और कोई धंधा नहीं करता है एवं नशे में अनावेदिका की कई बार मारपीट की है। इस कारण से अनावेदिका अपने तीनों नावालिग बच्चों सिहत अपने पिता के पास रह रही है और आवेदक कभी भी लिवाने मायके नहीं आया है, जिसका भली भांति समर्थन अनावेदिका के पिता रामप्रकाश आ०सा०—2 द्वारा किया गया है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों साक्षीगण अपने उक्त कथनों पर भली भांति स्थिर रहे हैं और अविश्वास किया जा सके।
- 13. अविदेक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का अपने तर्कों में कहना है कि अनावेदिका ने प्रतिपरीक्षण के पैरा कमांक 4 में यह प्रकट किया है कि उसने आवेदक के विरुद्ध कथित मारपीट के संबंध में पुलिस अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट नहीं है। इस कारण उसके कथन विश्वास योग्य नहीं रह जाते हैं, लेकिन उक्त साक्षी ने स्वतः ही प्रकट किया है कि आवेदक उसके पित हैं इसिलये उसने रिपोर्ट नहीं की है और वैसे भी भारतीय परिवेश की महिलाओं में अपने पित के प्रति सहनशीलता व रिपोर्ट नहीं करने की भावना प्रायः दृष्टिगोचर होती है। साथ ही अनावेदिका श्रीमती रेखा अना0सा0—1 का अपने कथनों में यह भी कहना है कि आवेदक द्वारा मारपीट किये जाने के कारण वह नावालिग बच्चों के साथ अपने मायके में पिता के साथ अच्छे से रह रही है। इन परिस्थितियों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया में स्वयं को परेशानी में डालने से बचने के लिये और नावालिग तीन—तीन बच्चों के पालन पोषण का भार होने से भी पीड़ित महिला द्वारा अपने पित के विरू0 रिपोर्ट नहीं किया जाना संभव है। अतएव बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क तात्विक नहीं पाये जाने से अमान्य किये जाते हैं।
- 14. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर आवेदक राकेश आ०सा०—1 के कथन विश्वासप्रद नहीं पाये जाने से तथा अनावेदिका पक्ष द्वारा ली गई प्रतिरक्षा विश्वासप्रद स्वरूप की होने से संभावना बाहुल्य सिद्धांत के प्रकाश में मामले में यह साबित नहीं होता है कि आवेदक के साथ अनावेदिका के

द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण के कूरता का व्यवहार किया जा रहा है एवं परित्याग करते हुये उसे दाम्पत्य सुखों से वंचित रखा गया गया है तथा आवेदक दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना करा पाने का अधिकारी नहीं है। तदनुसार वादप्रश्न कमांक 1 लगायत 3 प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं।

वादप्रश्न कमांक:-4

15. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं वादप्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 के निराकरण अनुसार आवेदक, विश्वासप्रद साक्ष्य से दाम्पत्य पुर्नस्थापन संबंधी अपनी याचिका को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। परिणामतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका निरस्त की जाती है। आवेदक अपने साथ—साथ अनावेदिका का वाद व्यय भी वहन करेगा। अभिभाषक शुल्क प्रमाण पत्र अनुसार 500/— रूपये की सीमा तक अथवा तालिका अनुसार, जो भी कम हो, जयपत्र में अंकित किया जाये।

तद्नुसार जयपत्र निर्मित किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड